न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या 56/2023(GCMS : 2023/73)

ICICI HFC Ltd. having its registred Office at "Landmark" Race course circle Vadodra-390007462, **Corporate office at** ICICI bank Towers. Bandra Kurla Complex, Bandra(E), Its **Branch office at** ICICI HFC Ltd. 1st Floor, Shop No. 91-92, New Cloth Market, SriGanganagar(Raj.)-335001

बनाम

1. **Shri Dharmendra Singh Shota** S/o Shri Harbans Singh Shota **(a)** Village1 JJ. Padampur, Dist. Sriganganagar(Raj.) **(b)** 15-A Block, Padampur, Dist.-Sriganganagar (Raj.) **(c)** Ahatta No. 24, Chak 1 JJ, Gram Panchayat- Jaloki, Padampur, Dist.- Sriganganagar(Raj.)
2. **Smt. Jasvinder Kaur Shota** W/o Shri Dharmendra Singh Shota **(a)** Ahatta No. – 24, Chak-1 JJ, Gram Panchayat- Jaloki, Padampur,Dist.- Sriganganagar(Raj.) **(b)** Village -1 JJ Padampur, Dist.- Sriganganagar

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

01.08.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी के अधिवक्ता श्री महावीर मिढ़ा उपस्थित हुए। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक/कम्पनी के अधिवक्ता का कथन था कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 10.04.2023 को प्रस्तुत किया था कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा **अप्रार्थीगण धमेन्द्र सिंह शोता, जसविन्द्र सिंह शोता को ऋण सुविधा के रूप में राशि 19.70/– लाख रूपये (खाता संख्या LHPDM00001295700 में राशि 4.20/– लाख एवं खाता संख्या LHPDM00001295699 में राशि 15.50/– लाख)** का ऋण दिनांक 15.07.2019 को स्वीकृत किया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी धर्मेन्द्र सिंह शोता ने अपनी **अचल सम्पत्ति भूमि एवं निर्माण आवासी[illegible] 24 (क्षेत्रफल 10000 वर्गफीट), चक 1 जे जे, ग्राम पंचायत ज[illegible] जिला श्रीगंगानगर,** को प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पास बंधक र[illegible] है कि अप्रार्थी [illegible] ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस

Signature Not Verified
Digitally signed by: Ansh Deep Ralh
Date: 2023.08.22 16:52:55 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

कारण उनका ऋण खाता दिनांक 03.10.2022 को अनर्जक परिसम्पत्ति(एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया है। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 10.10.2022 को 19,47,836 / — रूपये (राशि 4,44,955 / — +15,02,881 / —)ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है, जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2)के अन्तर्गत 60 दिवस का नोटिस दिनांक 10.10.2022 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने के लिए जारी किया गया। उक्त धारा 13(2) के 60 दिवस के नोटिस अप्रार्थी को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 13.10.2022 से भिजवाये गये है। जिसकी पावती के ऑनलाईन ट्रेक पत्रावली में उपलब्ध है, **इसके बावजूद भी अप्रार्थी ऋणीं द्वारा बैंक / कम्पनी की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई है।** इसलिए अप्रार्थी ऋणी **द्वारा सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक / कम्पनी के पास दृष्टि बंधक** रखी गई अप्रार्थी धमेन्द्र सिंह शोता की **अचल सम्पत्ति भूमि एवं निर्माण आवासीय सम्पत्ति आहत्ता नं. 24 (क्षेत्रफल 10000 वर्गफीट), चक 1 जे जे, ग्राम पंचायत जालौकी, तहसील पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक / कम्पनी को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने, प्रार्थी बैंक / कम्पनी के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक / कम्पनी ने **अप्रार्थीगण धर्मेन्द्र सिंह शोता एवं जसविन्द्र कौर शोता को राशि 19.70 / — लाख रूपये (खाता संख्या LHPDM00001295700 में राशि 4.20 / — लाख एवं खाता संख्या LHPDM00001295699 में राशि 15.50 / — लाख)** के ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 15.07.2019 को प्रदान की थी। [illegible] की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी धर्मेन्द्र सिंह शोता ने अपनी **अचल सम्पत्ति भूमि एवं निर्माण आवासीय सम्पत्ति आहत्ता नं. 24 (क्षेत्रफल 10000 वर्गफीट), चक 1 जे जे, ग्राम पंचायत जालौकी, तहसील पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर,** प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक / कम्पनी के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Rain
Date: 2023.08.22 16:52:55 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 03.10.2022 **को अनर्जक परिसम्पत्ति** (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा **13(2) के नोटिस दिनांक 10.10.2022** को जारी कर पोस्ट ऑफिस के रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 13.10.2022 को भिजवाने की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है। अप्रार्थी के धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के परिणामस्वरूप पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील हो चुकी है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई अप्रार्थी धर्मेन्द्र सिंह शोता की **अचल सम्पत्ति भूमि एवं निर्माण आवासीय सम्पत्ति आहत्ता नं. 24 (क्षेत्रफल 10000 वर्गफीट), चक 1 जे जे, ग्राम पंचायत जालौकी, तहसील पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर,** जो प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 10.10.2022 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 10.10.2022 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस अप्रार्थीगण **को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 13.10.2022 को भिजवाये गये है, जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है तथा धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति के** परिणामस्वरूप **ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है।** जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.08.22 16:52:55 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

माना जाना उचित है, इसके बावजूद भी अप्रार्थी ने बैंक/कम्पनी की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है **और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया** है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी आनन्दी के द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी आई.सी.आई.सी.आई. हाउसिंग फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थी ऋणी **धर्मेन्द्र सिंह शोता द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति भूमि एवं निर्माण आवासीय सम्पत्ति आहत्ता नं. 24 (क्षेत्रफल 10000 वर्गफीट), चक 1 जे जे, ग्राम पंचायत जालौकी, तहसील पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर, का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक/कम्पनी व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 01.08.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंशदीप)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.08.22 16:52:55 IST
Reason: SelfAttested